



Neutral Citation No.- 2026:AHC:17472

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-46063 वर्ष 2025

आकर्ष उर्फ आकाश चौरसिया आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मनोज कुमार श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता के साथ-साथ श्री सुनील कुमार, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने केस अपराध संख्या-265 वर्ष 2020, धारा 307, 302, 504, 506 भ०द०वि० और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, थाना कोतवाली ज़िला: मथुरा के तहत सुनवाई के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह के सह-आरोपी व्यक्ति, संजय चौरसिया को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-4785 वर्ष 2024 में पारित दिनांक 31.7.2025 के आदेश के तहत पहले ही ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आवेदक की भूमिका सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है, इसलिए वह समानता के आधार पर ज़मानत पर रिहा किये जाने का भी हकदार है। आवेदक 25.7.2020 से जेल में बंद है और उसका आपराधिक इतिहास है, जो स्पष्ट है।



5. ज़मानत के लिए प्रार्थना का अपर शासकीय अधिवक्ता हालांकि, सह-आरोपी के साथ समानता के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू पर उसके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

6. प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2020) 11 एस.सी.सी. 648 के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में ज़मानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रि०एल०जे० 938 में पारित निर्णय और पारस राम विशनोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/SCOR/22410/2021 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एस.सी.सी. 51 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आलोक में, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन को समानता के आधार पर अनुमति दी जाती है।

8. उपरोक्त मामले के अपराध संख्या-में शामिल आवेदक- आकर्ष उर्फ आकाश चौरसिया को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो भारी ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 द०प्र०स० के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को ज़मानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष ज़मानत रद्द करने के आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और ज़मानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 27, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.